अध्याय-I
परिचय

अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 53 विभाग और 62 स्वायत्त निकाय हैं। 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट प्राक्कलनों एवं उनके प्रति वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है:

तालिका-1.1

2009-14 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	4582	4377	5340	5279	5971	5690	6651	6618	7196	7046
सामाजिक सेवाएं	4086	3902	4929	4979	5669	5147	6635	6131	7117	6706
आर्थिक सेवाएं	2994	2868	3393	3682	3819	3049	4517	3418	4873	3591
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	4	6	6	12	12	7	7	3	9
योग (1)	**11666**	**11151**	**13668**	**13946**	**15471**	**13898**	**17810**	**16174**	**19189**	**17352**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	**2160**	**1943**	**1814**	**1789**	**1899**	**1810**	**2059**	**1955**	**2104**	**1856**
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**51**	**70**	**225**	**227**	**390**	**493**	**379**	**469**	**342**	**531**
लोक ऋण की चुकौती	**920**	**867**	**879**	**870**	**1099**	**1128**	**1930**	**2117**	**1714**	**1704**
आकस्मिक निधि	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**--**	**---**	**--**	**--**	**--**
लोक लेखा संवितरण	**1987**	**6421**	**1987**	**7162**	**1987**	**8526**	**2288**	**8285**	**2828**	**9227**
अंतरोकड़ शेष	**---**	**281**	**---**	**635**	**---**	**569**	**---**	**(-) 295**	**--**	**(-) 887**
योग (2)	**5118**	**9582**	**4905**	**10683**	**5375**	**12526**	**6656**	**12531**	**6988**	**12431**
सकल योग (1+2)	**16784**	**20733**	**18573**	**24629**	**20846**	**26424**	**24466**	**28705**	**26177**	**29783**

स्रोत: राज्य सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और वित्त लेखे

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों की प्रयुक्तता

2009-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] ₹ 13164 करोड़ से बढ़कर ₹ 19739 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 11151 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़कर 2013-14 में ₹ 17352 करोड़ हो गया। 2009-14 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9913 करोड़ से 51 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 14965 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय ₹ 1943 करोड़ से चार *प्रतिशत* घटकर ₹ 1856 करोड़ हो गया।

वर्ष 2009-14 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय 85 से 88 *प्रतिशत* और पूंजीगत व्यय 9 से 15 *प्रतिशत* सम्मिलित था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत विकास दर पर वृद्धि हुई।

1.3 निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान चार मामलों में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचत थी जैसा कि **तालिका-1.2** में ब्यौरा दिया गया है।

1 कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं

तालिका-1.2

2009-14 के दौरान निरंतर बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-दत्तमत						
1.	03-न्याय प्रशासन	2.84	16.51	15.96	14.78	16.71
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	9.99	7.78	9.43	6.89	13.44
3.	20-ग्रामीण विकास	2.06	4.06	75.07	72.69	60.04
पूंजीगत-दत्तमत						
4.	29-वित्त	4.18	1.84	1.67	5.07	4.52

स्रोत: विनियोजन लेखे

2011-12 (₹ 57.86 करोड़), 2012-13 (₹ 18.16 करोड़) और 2013-14 (₹ 17.81 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के अंतर्गत बचत का महत्त्वपूर्ण भाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत था। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित करता है।

1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधी अंतरित निधियां

2013-14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से बाहर विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1671 करोड़ सीधे अंतरित किये। परिणामस्वरूप, ये राशियां वार्षिक लेखों (वित्त लेखों और विनियोजन लेखों) के क्षेत्र से बाहर रहीं।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका-1.3** में दिये गये हैं।

तालिका-1.3

भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजनागत अनुदान	2052	2634	2647	2526	2025
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2731	2680	3342	4179	3765
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5	1	27	28	17
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	339	343	505	580	507
योग	**5127**	**5658**	**6521**	**7313**	**6314**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	14.65	10.36	15.25	12.15	(-) 13.66
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	50	45	45	47	40

2009-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 5127 करोड़ से बढ़कर ₹ 7313 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2013-14 के दौरान ये ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6314 करोड़ हो गये। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति इनकी प्रतिशतता 40 और 50 *प्रतिशत* के मध्य थी।

1.6 निधियों का अवरोधन

विभिन्न विभागों/अभिकरणों की ओर से कार्यों के निष्पादन के लिए अधिशासी अभियंताओं द्वारा प्राप्त निधियां अस्थायी रूप से अल्पकालिक शीर्ष "लोक निर्माण कार्य निक्षेप" के अंतर्गत रखी जाती हैं। ऐसी निधियां एक अनिश्चित अवधि के लिए अप्रयुक्त नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि उनके लम्बे समय तक रखाव के परिणामस्वरूप धन सामान्य बजट प्रक्रिया के बाहर रहता है और सरकारी निधियों का अवरोधन होता है।

नौ लोक निर्माण कार्य मण्डलों[2] में जुलाई 2005 तथा मार्च 2013 के मध्य 86 निक्षेप निर्माण कार्यों[3] के निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों/अभिकरणों से प्राप्त ₹ 12.22 करोड़ निर्माण स्थलों की अनुपलब्धता (71 मामले), पर्याप्त निधियों की कमी (एक मामला) और संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता (14 मामले) जैसे कारणों से निर्माण कार्यों को आरम्भ न करने के कारण अप्रयुक्त रहे।

सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2013 तथा मई 2014 के मध्य)। स्पष्ट रूप से, सम्बंधित मण्डलों द्वारा विभिन्न विभागों/अभिकरणों से प्राप्त ₹ 12.22 करोड़ एक अनिश्चित अवधि के लिए अप्रयुक्त रखे गए। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने और ग्राहक विभागों के साथ मामला निपटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत निकायों, स्कीमों/परियोजनाओं, आदि, गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता, अधिकृत वित्तीय शक्तियों के स्तर, शेयर धारको के आंतरिक नियंत्रण तथा सरोकारों और विगत लेखापरीक्षा परिणामों के जोखिम निर्धारण के साथ आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार निश्चित किया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा की पूर्णता के पश्चात् लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को एक मास के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किए गए महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं, में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है।

2013-14 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 763 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 42 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी संचालित की गई।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/गतिविधियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर बहुत सी महत्त्वपूर्ण कमियां जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है प्रतिवेदित की हैं। ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों की लेखापरीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कार्यकारी विभाग को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप/प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए और

---

[2] बैजनाथ: ₹ 0.53 करोड़ (पांच), बंगाणा: ₹ 0.15 करोड़ (एक), डलहौजी: ₹ 0.30 करोड़ (तीन), घुमारवीं: ₹ 2.73 करोड़ (नौ), जोगिन्द्रनगर: ₹ 0.58 करोड़ (13), कांगड़ा: ₹ 0.23 करोड़ (छ:), मण्डी मण्डल – II: ₹ 0.74 करोड़ (पांच), पद्धर: ₹ 6.22 करोड़ (32) और पांवटा साहिब: ₹ 0.74 करोड़ (12)

[3] शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण/मरम्मत: 26 (₹ 5.06 करोड़), स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण/मरम्मत: 18 (₹ 5.79 करोड़), लिंक सड़कों का निर्माण/मरम्मत: 32 (₹ 0.70 करोड़) और अन्य कार्य: 10 (₹ 0.67 करोड़)

छः हफ्तों के अंदर उनका उत्तर प्रेषित के लिए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की गैर-प्राप्ति के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों के अंत में निरपवाद रूप से सूचित किये गये हैं। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 26 परिच्छेद सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए थे। इनमें से मात्र दो परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त हुए हैं (दिसम्बर 2014)। मामला नवम्बर 2014 में राज्य मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से युक्त लेखापरीक्षा परिणाम विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि तथा लेखापरीक्षा के सूचनाधीन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित किए गए थे।

748 मामलों में इंगित किए गए ₹ 1.85 करोड़ की वसूली के प्रति सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 2013-14 के दौरान 125 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ की वसूली की गई जैसा कि **तालिका-1.4** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-1.4

2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई और विभागों द्वारा स्वीकार/वसूल की गई वसूलियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों का विवरण	2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई और विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां		2013-14 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त भुगतान की वजह से अधिक भुगतान	748	1.85	125	0.10

1.10 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण लेन-देन की नमूना जांच द्वारा संचालित करता है एवं महत्त्वपूर्ण लेखा तथा अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के उपरान्त लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता चली महत्त्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का जब मौके पर निपटान नहीं होता है, तब इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को अगले उच्च प्राधिकारी को एक प्रति के साथ, निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया जाता है।

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार हफ्तों के भीतर अपनी अनुपालना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। गंभीर अनियमितताओं को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को प्रेषित किये जाने वाले लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से भी विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाया जाता हैं।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 31 मार्च 2014 को 30146 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों से युक्त बकाया 8129 निरीक्षण प्रतिवेदन **तालिका-1.5** में दिए गए हैं।

तालिका-1.5

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद

(₹ करोड़)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	5792	23779	9819.83
2.	सामान्य क्षेत्र	1360	4093	7781.75
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	977	2274	1076.29
कुल		**8129**	**30146**	**18677.87**

सितम्बर 2013 तक आयुर्वेद विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित 109 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[4] को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2014 के अंत तक 383 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित लगभग ₹ 296.92 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 840 परिच्छेद बकाया रहे। इनमें से वर्ष 1969-70 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित सबसे पुरानी मदों का एवं ₹ 10.66 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 220 परिच्छेदों का 10 वर्षों से अधिक समय से निपटान नहीं किया गया था। इन बकाया 383 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 840 परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में और अनियमितताओं के प्रकार का विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में परिच्छेदों का लम्बन सरकारी विभागों की जवाबदेही की कमी दर्शाता है।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर शीघ्र तथा उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मामले पर गौर करने की सिफारिश की जाती है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाई

प्रशासनिक विभागों द्वारा लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समस्त लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं समीक्षाओं पर इसकी परवाह न करते हुए कि लोक लेखा समिति द्वारा इनका जांच हेतु अधिग्रहण किया गया है अथवा नहीं, स्व: प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणियां जो उनके द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, को दर्शाती हैं, भी प्रस्तुत करनी थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की 31 अगस्त 2014 की स्थिति **तालिका-1.6** में दी गई है।

तालिका-1.6

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2014 को लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां	राज्य विधान सभा में प्रस्तुति की तिथि	कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति हेतु देय तिथि
सिविल/ सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों- गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2010-11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	01	6.4.2012	5.7.2012
	2011-12	शिक्षा	01	9.4.2013	8.7.2013
		श्रम एवं रोजगार	01		
		बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	01		
		राजस्व	01		
		महिला एवं बाल विकास	01		
	2012-13	विविध विभाग	25	21.2.2014	20.5.2014
राज्य वित्त	2012-13	वित्त तथा विविध विभाग	सभी अध्याय	21.2.2014	20.5.2014

4 आयुर्वेद: 15 और ग्रामीण विकास: 94

1.12 स्वायत्त निकायों के लेखों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा पटल पर रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा अनेक स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा के न्यस्तीकरण, लेखापरीक्षा को लेखों का प्रतिपादन, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन और इसे विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति **परिशिष्ट-1.3** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे 10 महीनों से विलम्बित थे जबकि अन्य निकायों के सम्बंध में विलम्ब एक से चार महीनों के मध्य था। वर्ष 2013-14 के लिए सभी 14 निकायों के सम्बंध में लेखे अगस्त 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है, अत: लेखों को अंतिम रूप देने और लेखापरीक्षा को शीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को छोड़कर 13 स्वायत्त निकायों के वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जारी किये गये पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 के लिए एक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[5] जारी किया जा चुका है और इसे विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। 2013-14 के लिए सभी 14 निकायों हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के लिए लेखों की गैर-प्रस्तुति के कारण लम्बित हैं।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण

विगत दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण उनके मुद्रा मूल्य सहित **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7

2011-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं और परिच्छेदों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		परिच्छेद		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रारूप परिच्छेद
2011-12	2	731.33	19	176.52	2	1
2012-13	3	579.78	22	679.17	1	7

2013-14 के दौरान राज्य सरकार को चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 26 लेखापरीक्षा परिच्छेद जारी किए गए थे। तथापि, सरकार से मात्र दो परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त हुआ था।

इस प्रतिवेदन में ₹ 2049.77 करोड़[6] के मुद्रा मूल्य युक्त चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 23 लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए, उपयुक्त स्थानों पर समाविष्ट किए गए हैं।

[5] हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला

[6] निष्पादन लेखापरीक्षा: ₹ 1879.92 करोड़ और लेखापरीक्षा परिच्छेद: ₹ 169.85 करोड़